भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित

सत्यमेव जयते

HDFC ERGO

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

मौसम – रबी 2024–25 **फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!**

उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं यथा वर्षा, तापमान, हवा एवं आर्द्रता के कारण किसी भी संसूचित फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज द्वारा वित्तीय सहायता।
2. किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. विशेषकर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर करना।

पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुन: बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)

अधिसूचित फसल	बीमा की ईकाई	बीमित राशि (रु./हे.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
हरी मटर एवं टमाटर शिमला मिर्च	संसूचित विकास खण्ड	प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि	बीमित राशि का 5%	**30 नवम्बर, 2024** **30 नवम्बर, 2024**

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

- **सम्बन्धित बैंक शाखा**
- **जन सेवा केन्द्र (CSC)**
- **भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in)**
- **क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय**

(कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है)

बीमा से आच्छादित जोखिम एवं क्षतिपूर्ति का आंकलन

बीमा से आच्छादित जोखिम	फसलों की क्षति का आंकलन
• कम वर्षा • बे–मौसम/अधिक वर्षा • लगातार सूखे दिन • कम/अधिक तापमान • आर्द्रता तेज हवा	• बीमित फसल की बुआई से पटाई की समयावधि (बीमा अवधि) के महत्त्वपूर्ण चरणों में फसल हेतु निर्धारित की गयी मौसमीय स्थितियों एवं मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के अनुरुप फसल की सम्भावित/जोखिम अवधि क्षति के दृष्टिगत फसलवार स्वीकृत टर्म–शीट में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर क्षति का आँकलन।

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम – रबी 2024–25 के अन्तर्गत जनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)

(रबी 2024–25 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5%)

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि	कृषक प्रीमियम राशि	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
रबी 2024–25	आगरा	टमाटर	50,000	2,500	30 नवम्बर, 2024
	फिरोजाबाद	टमाटर	50,000	2,500	
		शिमला मिर्च	50,000	2,500	
	कन्नौज	हरी मटर	70,000	3,500	
		टमाटर	50,000	2,500	
	कानपुर नगर	हरी मटर	70,000	3,500	
		टमाटर	50,000	2,500	
	मैनपुरी	टमाटर	50,000	2,500	

ई–मेल: pmfby.up@hdfcergo.com

वेबसाइट: https://pmfby.gov.in/farmer

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: Restructured Weather based Crop Insurance Scheme - IRDAN125P0005V01201617.CSC-Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme-HDE-AG-P18-26-V01-17-18. UID: 16138.